कोसा : दलित युवक अमित कुमार भंडारी के नृशंस हत्या का घटना छत्तीसगढ़ में ऑनर किलिंग के एक छोटे से हिमखंड का उभरा हुआ सतही सिरा है : एक स्वतंत्र जाँच रिपोर्ट.

(बहु सांगठनिक तथ्य अन्वेषी दल का यह रिपोर्ट जाति बर्चस्व के सबल - सामन्ती तत्वों और जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित छत्तीसगढ़ पुलिस के गठजोड ताकतों द्वारा इस मामले को लीपापोती के कगार पर पहुंचा देने के फिराक और पैंतरे को छिन्न –भिन्न करता है)

तथ्यान्वेषण दिनांक -04.09.2026

घटना का नाम ; एक दलित युवक के नृशंस हत्या का मामला ,

घटित घटना दिनांक 27.06.2026.

घटना स्थल – गाँव - कोसा, थाना-मुलमुला जिला-जाँजगीर-चाँपा छत्तीसगढ़.

रिपोर्ट लेखन : डिग्री प्रसाद चौहान

जाँच दल के सदस्यगण :-

1. विभीषण पात्रे, दलित अधिकार अभियान
2. गायत्री सुमन, कानूनी मार्गदर्शन केन्द्र
3. गुड्डू लहरे, इनसाफ
4. पिण्टू खाण्डे, भीम आर्मी
5. प्रियंका बन्जारे, अधिवक्ता, पामगढ़
6. देवन्द्र बघेल, दलित आदिवासी मंच
7. डमरू मनहर, प्रदेश कार्यकारिणी, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सतनामी संघ
8. भूषण खटकर, जिला अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सतनामी संघ, जिला जाँजगीर-चाम्पा

9. सुरेश मिरचेण्डी, ब्लॉक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सतनामी संघ, अकलतरा

10. लकेश्वर बघेल, पत्रकार, बलौदा बाजार,

11. अजीत घृतलहरे, सामाजिक कार्यकर्ता,

12. रूपेश दीवाकर, भीम आर्मी

13. राजकुमार सोनवानी, सामाजिक कार्यकर्ता

14. अभिषेक कामले, सामाजिक कार्यकर्ता

15. जगदीश खांडे, ब्लाक अध्यक्ष, सतनामी समाज , बलौदा

16. संजीत बर्मन, सामाजिक कार्यकर्ता

17. डिग्री प्रसाद चैहान, मानव अधिकार कार्यकर्ता (सी ए जे ई)

जाँच दल के बारे में; टीम का गठन और ग्राउंड जीरो की कार्यवाही :-

जांजगीर चाम्पा जिले के पामगढ़ क्षेत्र में सक्रिय संगठन दलित अधिकार अभियान के साथियों ने उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ राज्य में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय विभिन्न मानव अधिकार संगठनों और मानव अधिकारों के लिए सुदूर क्षेत्रों में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से सम्पर्क कर चर्चा किया गया, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अत्यंत गंभीर मानते हुए इस पर एक स्वतंत्र जाँच दल का गठन कर घटना स्थल पर जाकर और पीड़ित परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों से मिलकर घटना के बारे में तथ्य संग्रह करने का निर्णय लिया गया . और इसके लिए 04 सितंबर 2026 का तारिख तय कर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया गया . फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने घटना स्थल पर पहुंचकर यथासंभव पीड़ितों और ग्रामीणों से मुलाकात किया और घटना के वास्तविक तथ्यों के बारे में उनका कथन सुना और जानकारी प्राप्त किया . टीम के सदस्य मुलमुला थाने में जाकर पुलिस से उक्त घटना पर प्रथम सूचना पत्र और जाँच कार्यवाही की दिशा, पुलिसिया अन्वेषण की अत्यंत धीमी गति, पीड़ित परिवारों को संरक्षण की जबाबदेही इत्यादि अहम् सवालों और पुलिस के जबाब से भी रूबरू हुए.

पीड़ित परिवार व ग्रामीणों का बयान: -

1. **लोकपाल भंडारी,** निवासी ग्राम –कोसा , पेशा – खेती –किसानी ने जाँच टीम को बताया कि “मै घटना के दिन ईलाज कराने के लिए रायपुर गया था. यह घटना दिनांक 27.06.2026 से सम्न्धित है कि मेरे मोहल्ले और गाँव का निवासी एक 25 वर्षीय युवक जो कि अनुसूचित जाति वर्ग अंतर्गत मेरे सतनामी समुदाय से सम्बद्ध है, गाँव में वापस आने पर मुझे पता चला कि वह युवक जिसका नाम अंमित भंडारी है, उसके परिवार वाले उसका खोजबीन कर रहे हैं . उसके परिजनों द्वारा पास-पड़ोस में खोजबीन करने पर भी अमित भंडारी को नहीं ढूंढ पाने के पश्चात इसकी सुचना थाना मुलमुला में अगले दिन दिनांक 28 .06.2026 के रात में दी गयी थी. और उसके अगले दिन दिनांक 29 .06.2026 अमित भंडारी का मृत शव

गाँव के अमहा तालाब के पास मिला था " जब जाँच टीम ने पुछा कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में गाँव में क्या जनचर्चा है तब उसने बताया कि " इस घटना के मूल में समाज में कथित रूप से एक निम्न जाति के लड़के का ऊँचे जाति के लड़की के साथ प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत होता है और इस कारण से उस युवक का हत्या कर फ़ेंक दिया गया होगा. गाँव में मृतक अमित भंडारी और गाँव के ही संतोषी सिंह जो कि क्षत्रिय जाति से सम्बद्ध है, के साथ परस्पर प्रेम सम्बन्ध को लेकर आम चर्चा है. मृतक अमित भंडारी का संतोषी सिंह के साथ करीबन सात –आठ साल का प्रेम सम्बन्ध रहा है. लड़की संतोषी सिंह लड़के अमित भंडारी से लगभग दो –तीन साल उम्र में भी बड़ी होगी. लड़की का उसके घरवालों ने हथबंद नामक किसी गाँव में शादी करा दिया था जहां उसके दो छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, बावजूद इसके लड़की संतोषी सिंह पिछले दो सालों से गाँव में ही उसके मायके पथार्रपारा मोहल्ले में रह रही थी. लड़का और लड़की के घर की दूरी लगभग 800 मीटर होगी. ऐसा भी सुनाने को मिला है कि लड़का और लड़की के प्रेम सम्बन्ध और उनके मेलजोल की मनाही को लेकर लड़की के घरवालों- उसके भाइयों ने मृतक अमित भंडारी को कई बार चेतावनी भी दिया गया था." घटना के दो महीने बाद भी हत्या के दोषियों को पूलिस द्वारा नहीं खोज पाने के सवाल पर ग्रामीण लोकपाल भंडारी ने बताया कि " 29 जून को मृतक का शव मिलने के बाद पुलिस द्वारा खोजी कुत्ता लाया गया था जिसमे गाँव में सबने देखा कि पुलिस का खोजी कुता मृतक को सूंघने पश्चात तलब किनारे होते हुए सीधे लड़की संतोषी सिंह के घर जाकर रुका लेकिन इसके बावजूद पुलिस वालों ने अब तक किसी का गिरफ्तारी नहीं किया है. हो सकताहै इसका कारण लड़की पक्ष का ऊँचे जाति से होना और उनके सजातीय लोगों का जिले में राजनीतिक रसूख और दबदबा होने के कारण पुलिस जाँच कार्यवाही प्रभावित हुआ हो."

ग्राम कोसा की कुल आबादी में से दलितों की जनसख्या 29 % है. गाँव का साक्षरता दर 67 % के आसपास और लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 971 महिलायें हैं.

2. **बीरू बन्दे पिता श्री वेदराम बन्दे,** उम्र 29 वर्ष लगभग जाति-सतनामी, गाँव-कोसा ने जाँच दल को बताया कि ''मैं गाँव में रहता हूँ. मेरे अलावा गाँव के ही रहने वाले अन्य 05 लोग विनोद घृतलहरे, संतोष प्रभाकर, शुभम भण्डारी, संदीप बन्दे आदि लोगों को थाना-मुलमुला में पुलिस वालों द्वारा फोन कर हमें दो बार बुलाया गया, और एक बार पुलिस गाँव में आकर अपने गाड़ी में बैठाकर हमे ले जाया गया जहाँ पुलिस ने हमें सुबह 10 बजे से देर रात 11; 30 बजे तक कभी मुलमुला थाना, तो कभी जाँजगीर-चाँपा स्थित एस.पी.आफिस/सायबर सेल में हमें रखा गया.''

जब जाँच दल द्वारा यह पूछा गया कि तुम लोगों को पुलिस ने क्यों और किस बावत् ले गया तब उसने बताया कि ''हमारे गाँव में 27.06.2026 को अमित भण्डारी जो कि गाँव में हमारे साथ उठता-बैठता था, वह अचानक से लापता हो गया था और दिनांक 29.06.2026 को गाँव में उसका लाश मिला. हमें पुलिस द्वारा पूछा गया कि वह/मृतक अमित भण्डारी किस-किस के साथ घूमता-फिरता था, तब हमनें पुलिस को बताया था कि सबके साथ उसका मेल-जोल था, तब पुलिस वाले हमें पूछने लगे कि उसका मर्डर तुंम लोग किए हो क्या?''

3. **विनोद कुमार घृतलहरे पिता श्री उपेन्द्र घृतलहरे,** उम्र 40 वर्ष लगभग, जाति-सतनामी, ग्राम-कोसा ने जाँचदल को बताया कि अमित भण्डारी मेरा दोस्त था. उसके साथ उसके मृत्यु से पहले मेरा फोन पर अक्सर बातचीत होता था और गाँव में व्यक्तिगत तौर पर अक्सर मुलाकात भी होते रहता था. अमित भण्डारी आम तौर पर तास खेलता था. उसके लापता होने से पहले दिनांक 26.06.2026 को भी हम लोग शाम के समय मिले थे. करीब 8-9 बजे शाम को जब मैं उसके साथ था तब भी वह फोन पर संतोषी के साथ बात कर रहा था. गाँव में यह आम चर्चा है कि संतोषी उसकी प्रेमिका है और पिछले कई वर्षों से दोनों का परस्पर प्रेम सम्बन्ध है और इस बारे में लड़की के घर वालों ने पहले कई बार लड़के को मना किया गया था और लड़की के भाई लोगों ने मृतक को चेतावनी भी दिया था. उसने बताया कि उसे पुलिस वालों ने मुलमुला थाना और जाँजगीर-चाँपा स्थित एस.पी.आफिस/सायबर सेल में ले गए थे. उसने जाँच दल को बताया कि ''पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपीट किया है, मुलमुला थाना में पुलिस वलों ने मुझे थप्पड़ और घुसा मारा तथा सायबर सेल में मुझे लेटाकर मेरे हाथ-पैर के हथेली और तलवा में पट्टा से मारपीट किया गया है वहाँ पर मुलमुला थाना का टी.आई. पारस पटेल उपस्थित था. सायबर सेल में पुलिस वालों द्वारा उसे पूछा गया कि तुम मृतक अमित भण्डारी के बडे भाई अमृत भण्डारी के साथ मिलकर तुम लोगों ने ही अमित भण्डारी को जान से मारकर उसे फेंक दिए हो। पुलिस ने मुझे कहा कि तुम यह कबूल कर लो कि तुमने अमित भण्डारी के बड़े भाई अमृत के साथ मिलकर उसका हत्या किए हो और उसके लाश को तुम लोगों ने ही फेंक दिए हो.''

4. **अमृत लाल भण्डारी पिता स्व. ओम प्रकाश भण्डारी** उम्र 32 वर्ष लगभग, जाति-सतनामी, गाँव-कोसा ने जाँच दल को बताया कि ''मैं अमित कुमार भण्डारी का बडा भाई हूँ.मेरा भाई गाँव और आसपास के गाँव में मिस्त्री लोगों के साथ रोजी-मजूरी का काम करता था. घटना दिनांक 27 जून 2026 का है, उस दिन मैं घर पर ही था, रात्रि 9 बजे के लगभग खाना गया. हम लोग एक ही मकान में रहते थे किन्तु मेरे मम्मी और मेरा भाई अलग खाना पकाते थे. मैं और अपने पत्नी और 5 बच्चों के साथ अलग खाना पकाते थे. इसी

साल मई 2026 के महीने में हमारे परिवार में मेरे भाई अमित के शादी के हमारे कर्तव्य को पूरा करने को लेकर आपसी वाद-विवाद हमारे परिवार में हुआ था उसी बात से नाराज होकर मेरा भाई हमसे अलग होकर अलग खाना पकाता था.

रात 9 बजे लगभग गर्मी का दिन था मेरा भाई अपना बिस्तर वगैरह लेकर छत में गया और उसके थोड़े देर के पश्चात् घर से निकल कर बस्ती की तरफ गया. वह फिर रात 12 बजे के लगभग घर में आया था और किचन में गया तब मेरे मम्मी ने उसे पूछा कि का हो गे बेटा (बेटा क्या हो गया?) फिर उसने बताया कि मैं पानी लेकर छत में जा रहा हूँ सोने के लिए तब हम लोग बिस्तर में लेटे-लेटे जग ही रहे थे, उसके बाद मैं पेशाब करने के लिए बाहर निकला और आकर सो गया. हमारे घर में मुख्य गेट पर दरवाजा नहीं है मकान में तीन कमरे हैं और उसमें सिटकनी कुण्डी वगैरह भी नहीं है.

मै सुबह उठकर दिनचर्या के लिए तालाब की ओर गया, तालाब से घर की दूरी लगभग आधा किलोमीटर है. मैं जब तालाब से वापस आया तब 7:30 बज चुके थे. मैंने सुना कि मेरी माँ मेरे छोटे लड़के भावेश जिसका उम्र 5-6 साल है, उसे कह रही थी कि जाओ तुम्हारे चाचा को उठा दो, अभी तक सोकर नहीं उठा है. तभी मेरे बच्चे ने देखकर वापस आने के बाद बताया कि चाचा नहीं है फिर मम्मी ने कहा कि तालाब तरफ गया होगा. जब मेरा भाई 10 बजे तक घर नहीं आया तो पास-पडौस और दोस्तों से पूछताछ किए. उसे फोन भी किए लेकिन उसका फोन बन्द बताया. दोपहर के समय मैं खाना खाकर आराम किया और उसके बाद गाँव के भूषण भण्डारी के खेत में धान बोवाई के काम में उसके खेत में चला गया. शाम के 6 बजे लगभग मेरी घरवाली ने हमारे पडोस में रहने वाले नन्दिनी (जो कि मेरे भाई की प्रेमिका संतोषी के मामा की लड़की है) को जाकर पूछा कि संतोषी ला पूछकर बता तो कि कैसे मोर देवर अभी तक घर नी आइस हावे, ओकर साथ ओकर बातचीत होवत रइथे. तब पड़ोसी नन्दिनी ने मेरे पति को कहा कि ठीक है मैं फोन कर के बताती हूँ. फिर उसने अपना फोन लगाकर एक अन्य पड़ोसी लोहार परिवार के बच्ची के हाथ में फोन देकर भेजा कि जाओ लक्ष्मीबाई (जो कि मेरी पत्नी है) को दे दो. मेरे पत्नी ने मुझे बताया कि फोन पर संतोषी ने कहा कि रात के एक बजे के लगभग फोन पर उससे बात हुआ था और वह मुझसे मिलने के लिए आ रहा था और उसी समय पुलिस वाला अमित को उठाकर ले गया होगा, संतोषी ने मेरे पत्नी को यह भी कहा कि सुबह मैं अमित को 200/-नगद और 50/-आनलाईन दी हूँ.

जब मैं खेत में काम कर रहा था तब मेरी पत्नी ने मुझे फोन कर कहा कि तोर भाई अभी तक घर नी आय हे, तुम जल्दी घर आओ उसको खोजने के लिए जायेंगे. मैं खेत पर से गाँव के ही एक व्यक्ति प्रेमलाल धन्नू (जो कि गाँव का पूर्व सरपंचं का लड़का है) को फोन कर यह जानना चाहा कि क्या रात में हमारे गाँव में पुलिस आया था यह बात थोड़ा पता करके बताओ. मैं शाम के 8 बजे के लगभग घर पहुंँचा. मेरे भाई अमित के बन्द पड़े पुराना फोन के सिम को निकालकर अपने फोन में लगाया और उसके दोस्तों के फोन नम्बर का जानकारी लिया. जब किसी तरह सम्पर्क और जानकारी नहीं मिला तो मैं अपने अम्मा के साथ दोनों लड़की सन्तोषी के घरं गये. दरवाजा के बाहर से लड़की को बुलाये और पूछे कि अमित कहाँ है? तब उसने बताया कि उसे नहीं मालूम है. तभी लड़की की माँ काँवेरी सिंह ने वहाँ आकर बोला कि हमें जो जानकारी है कि तोर लड़का तो बाहर कमाने खाने के लिए गया हुआ था, वो कब से गाँव में आ गया है जो तुम लोग यहाँ खोज रहे हो? तब हमने उन लोगों से कहा कि हम लोग थाना में रिपोर्ट करने जा रहे हैं. तभी लड़की का भाई पप्पू सिंह भी वहाँ आ गया और बोलने लगा कि उसका नम्बर, आधार कार्ड रखे हो तो चलो थाना चलते हैं और वे लोग भी पप्पू सिंह और एक अन्य व्यक्ति जिसको हम लोग नहीं पहचानते हैं, हमारे साथ पीछे-पीछे थाना के रास्ते की ओर आने लगे, तब तक देर शाम अँधेरा हो चुका था और रास्ते में पत्थरापारा के आगे सुनसान जगह से वे लोग और दिखाई नहीं दिए लेकिन मैं और मेरी अम्मा मुलमुला थाना पहँुच आए. थाना पहुंँचते तक हम लोगों को रात के साढ़े नौ बजे हो गए थे और उस वक्त एक पुलिस वाला जिसका नाम रूपनारायण है, उसे हमने बताया कि हमारा भाई गायब है और वह नहीं मिल रहा है. हमने पुलिस वाले को यह भी बता दिया कि गाँव के संतोषी सिंह के साथ मेरे भाई का प्रेम सम्बन्ध था और हम लोग उसके घर मंे भी पता करने के लिए गए थे लेकिन वहाँ भी कोई जानकारी नहीं मिल पाया. हम लोगों ने मौखिक सूचना दी और पुलिस वाले ने गुमशदगी रिपोर्ट लिखा और हम लोगों से उसमें दस्तखत कराया फिर एक कापी लेकर हम लोग घर में लौट आए यह 27.06.2026 का तारीख था.

जब रात में हम लोग थाना से घर वापस आए तो आस-पड़ोस के और रिश्तेदार लोग भी हमारे घर में आए और हमसे हमारा खैर-खबर लिए. अगले दिन सुबह मैं गाँव के ही विनोद घृतलहरे के साथ फिर मेरे भाई को खोजने के लिए निकले-रिसदा गाँव की तरफ गए थे और आगे ग्राम डोड़की में पण्डित से विचवाये. 29 जून 2026 के सुबह 8 बजे के लगभग मेरे फोन पर संतोषी ने सम्पर्क कर मुझे पूछा कि तुम्हारा भाई का पता चला या नहीं, भैया जल्दी ओकर पता करव. मैं रजत सिंह सरपंच के घर गया और उसे घटना के बारे में बताया. उसी वक्त सरपंच ने मुझे बताया कि गाँव में अमहा तालाब के पास एक लाश मिला है तुम लोग जाकर देख लो. हम लोग तालाब के पास जाकर देखे तो पहचान गए कि वहाँ मेरा भाई पेट के बल में औंधामुँह गिरा हुआ था. हमने देखा कि उसका हाथ मुड़ा हुआ और टुटा हुआ था, पैरे में एंकल/टखना के ऊपर रस्सी से बाँधने का निशान दिखाई दिया, उसके पैर में चप्पल चिपका हुआ था और उसका पूरा शरीर

फूल गया था और उसका निजी अंग अपेक्षाकृत अधिक फूला हुआ दिखायी दिया. उस वक्त वहाँ पर गाँव के लगभग 30-40 लोग मौजूद थे. हम दोनों वहाँ से रोते हुए घर वापस आ गए और मैं मेरी पत्नी और माँ से सलाह मशवरा कर थाना गए थाना में सूचना दिए, पुलिस ने लिखा-पढ़ी किया और हमारे पीछे-पीछे पुलिस वाले भी हमारे गाँव में आ गए. वहा आकर पुलिस ने पंचनामा का कार्यवाही किया, उसी समय मैंने देखा था कि मेरे भाई के मृत शरीर के बीच छाती में गहरे चोंट के निशान और चेहरे पर मारपीट के जख्म के निशान, सिर में लाठी के मार से चोंट के निशान दिखाई दे रहे थे जिससे साफ लग रहा था कि उसे बर्बारता से मारपीट कर उसकी हत्या किया गया है. मेरे भाई के शव को वहाँ से हटाने का कोशिश किया लेकिन वहाँ पर हम परिवार वालों ने पुलिस का विरोध किए और माँग किए कि पहले डॉग स्क्वायड बुलाओ और पता करो कि किन लोगों ने मेरे भाई का मर्डर किया है उसके बाद यहाँ से मेरे भाई के शव को पंचनामा इत्यादि की कार्यवाही के लिए ले जाने देंगे. उसी बीच पुलिस ने संतोषी जिसके साथ मेरे भाई से प्रेम सम्बन्ध का गाँव में चर्चा था, उसके परिवार को पुलिस द्वारा थाना ले जाया गया. शाम 6 बजे के लगभग पुलिस ने डॉग स्क्वायड बुलाया.

पुलिस द्वारा डॉग स्क्वायड की कार्यवाही के दौरान हमने देखा कि वह कुत्ता जहाँ मेरे भाई का मृत शव पड़ा था उस स्थान से तालाब के पीछे के रास्ते से होकर सूँघते-भागते लड़की संतोषी सिंह के घर के दरवाजा के सामने रूक गया और जैसे ही उनके घर के दरवाजा खुला वह कुत्ता अन्दर घुसकर आँगन में रखे फावड़ा को सूँघा और आसपास घूमा और बाण्उड्री के भीतर अन्दर कमरे के मुख्य दरवाजा पर रूक गया. उस वक्त उनके घर में घर की नई बहु और छोटे बच्चे उपस्थित थे, वहाँ पर ग्रामीण भी बडी संख्या मंे पहँुचे थे. पुलिस ने वहाँ जाँच-पड़ताल भी किया, पूजा कमरे में एक तलवार भी मिला लेकिन पूजा स्थल मानते हुए उसे जब्ती नहीं बनाया गया. घर के पीछे के दीवाल में खूने के छिंटे भी थे, जिसे पुलिस ने देखा और बताया कि यह किसी चिड़िया का होगा. उसी स्थान पर प्लास्टिक कुर्सी का टुंकड़ा भी मिला जो ताजा टूटा हुआ लग रहा था. उस स्थान के पास में ही एक जोड़ी कपड़ा (लोवर-टी शर्ट) साफ धोकर निचोड़ा हुआ भी देखने को मिला जिसे पुलिस ने जब्त किया.

जिस वक्त यह डॉग स्क्वायड की कार्यवाही मेरे मृतक भाई के घर मे जारी था, उसी बीच पुलिस वालों ने मेरे भाई के मृतक शव को वहाँ से उठा लिया था जिसे उस समय हमें देखने भी नहीं दिया गया. जब इस सम्बन्ध में हमने पुलिस से बात किया तो वहाँ उपस्थित मुलमुला थाना प्रभारी पारस पटेल ने कहा कि-तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं इसके आधार पर किसी को भी गिरफ्तार नहीं करूँगा.

मेरे भाई के शव का पोस्टमार्टम पामगढ़ में नहर पार स्थित चीर बँगला, आई.टी.आई.कॉलेज के पास सम्पन्न हुआ था. पोस्टमार्टम के पश्चात् जब शव का पैकिंग हो रहा था ठीक उसी समय मैं वहाँ पर

पहुँच सका. मैंने रूपये 7500/-नगद भुगतान पोस्टमार्टम करने को दिया फिर एम्बुलेंस वाले को जिसे पुलिस वालों ने बोल दिया था उसे भी 500/-रूपये भुगतान कर शव को अपने गृह ग्राम में लाया गया और रात नौ बजे लगभग दफनाया गया. यह घटना 29.06.2026 की तारीख का है.

हमें अगले सुबह दिनांक 30.06.2026 को थाना मुलमुला में आने के लिए पुलिस वालों ने कहा. हम लोगों से मेरे भाई अमित भण्डारी के दैनिक जीवनचर्या विवरण का पूछताछ किया और मेरे और मेरे घरवाली का अलग-अलग बयान पुलिस वालों ने लिया और पुलिस ने हमें बताया कि घटना का एफ.आई.आर.दर्ज कर दिया गया. हम लोगों ने अपने सतनामी समाज को लेकर एसपी आफिस पहुँेचे थे दोपहर में जहाँ हमने दोषियों पर कार्यवाही का गुहार एसपी साहब से किया, हमारे साथ गए, महिलाओं की एक टीम ने एडिशल एसपी साहब से भी मुलाकोत कर दोषियों के गिरफ्तारी की माँग किया, यह बात स्थानीय अखबारो में भी प्रकाशित हुआ था. उसी तारीख को एसपी साहब भी घटना स्थल ग्राम में पहुँचे थे.

हम लोगों को-मुझे, मेरी अम्मा, मेरी पत्नी, चाचा वैदराम को 13-14 जुलाई को भी मुलमुला पुलिस ने बुलाया था और वहाँ पहुंचने पर हमें पुलिस वेन से जाँजगीर-चाँपा ले जाया गया वहाँ उपस्थित 3 स्टार वाली एक मेडम ने हमसे पूछताछ किया और उसने मेरी पत्नी के साथ मारपीट किया और उसे विद्युत करेंट देने की कोशिश किया गया. वहाँ पर मुलमुला थाना प्रभारी पारस पटेल भी उपस्थित था और हमें धमकाने लगा. मुझे पुलिस वालों ने सायबर सेल में अन्दर बुलाया और कहा कि-तुम्हारी पत्नी बता रही है कि तुंम्हारे भाई का तुम्हारी पत्नी के साथ अवैध सम्बन्ध रहा है इसीलिए तुंम लोग उसे मारकर फेंक दिए हो, ऐसा कबूल करने के लिए मुझे मेरे साथ मारपीट किया गया. सायबर थाना जाँजगीर-चाँपा में हम लोगों को रात को 11 बजे तक रखा गया. वहाँ पर मेरे भाई की प्रेमिका संतोषी सिंह भी पहले से मौजूद थी.

5. **लक्ष्मी भण्डारी पति श्री अमृतलाल भण्डारी,** उम्र 30 वर्ष लगभग, ग्राम-कोसा निवासी ने जाँच दल को बताया कि ‘‘मैं कक्षा पाँचवीं तक पढ़ी हूँ. मेरे देवर अमित भण्डारी का गाँव में किसी के साथ कोई रंजिश नहीं था हाॅलाकि वह कुछ-कुछ तास खेलता था, नशा वगैरह भी करता था, थोड़ा-बहुत लेकिन वह कभी भी घर का सम्पत्ति वगैरह को बर्बाद नहीं करता था. जब हम लोग परिवार में एक अच्छी लड़की देखकर शादी करने का उसे प्रस्ताव देत थे तो वह राजी नही होता था. अभी हम लोग जहाँ रहते हैं उस मकान को मेरे देवर एवं मेरे पति दोनों ने मिलकर अम्मा अर्थात् मेरे सास के नाम शासन द्वारा दिए गए आवास योजनान्तर्गत के मदद से थोड़ा-बहुत अपना मिलाकर इस मकान को बनाए हैं. मेरे देवर के लापता होने के

शाम व खाना खाकर छत में चढ़ गया सोने के लिए, यह बात हम जानते हैं, और उसके बाद हम लोग भी सो गए.

मेरे देवर अमित भण्डारी के लापता होने और उसका शव मिलने के बाद पुलिस वालों ने थाना मुलमुला में तीन बार और जाँजगीर-चाँपा स्थित सायबर सेल में एक बार मुझे ले जाया गया है जहाँ पुलिस वालों द्वारा मेरे साथ मारपीट किया गया है जिस कारण मेरे हाथ, पीठ और कनपट्टी में बहुत दर्द हुंआ और मुझे बिजली करेंट छुआने का भी तैयारी किया जा रहा था. मेरे चूड़ी निकाल कर दो महिला पुलिस वालों ने मेरे साथ बहुत मारपीट किया. पुलिस वाले बार-बार मुझे एक ही बात कहते रहे, कि तुम अपने पति अमृत का नाम ले लो कि तुम्हारा अपने देवर के साथ सम्बन्ध है और यह बात को तुंम्हारा पति को जानकारी हो जाने के कारण तुम दोनों ने मिलकर अपने देवर अमित भण्डारी का हत्या कर दिया है. जब मैंने पुंलिस वालों के इन बातों को कबूल करने से इंकार किया तो पुलिस वालों ने मुझे बिजली करेंट छुआने का धमकी दिया. पुलिस वालों ने मुझे नारको टेस्ट कराने के लिए भी एक कागज में मुझे दस्तखत करने के लिए कहा गया था.

मेरे देवर अमित भण्डारी के हत्या की घटना से हम लोग परिवार में बहुत ही दुखी हैं लेकिन पुलिस वालों द्वारा मेरे देवर के हत्या के असली आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हुए हम परिवार वालों को ही दोषी साबित करने के लिए हमें लगातार दबाव और प्रताड़ित किए जाने से और भी टूट चुके हैं और अत्यन्त आहत हो चुके हैं. पुलिस के इस रवैये से अधिक प्रताड़ित मैं इस बात के कारण महसूस कर रही हूँ कि पुलिस द्वारा असली दोषियों को बचाने के मकसद से मेरे साथ मेरे देवर अमित भण्डारी के अवैध सम्बन्ध का मनगढ़न्त कहानी रचा गया है. मैं पुलिस के रवैया से अत्यन्त दुखी हूँ और हम परिवार सहित बहुत ही भयभीत हैं.

इस पूरे मामले में दलित संगठनों का सक्रियता और शोसल मीडिया अभियान की अहम् भूमिका :-

दिनांक 27अगस्त 2026 को आशीष टंडन नामक एक दलित युवक जो दलित अधिकारों का एक सजग साथी रहा है, वह अपने निजी काम के सिलसिले में गांव कोसा गया हुआ था . वह अपने वाहन में जय

भीम प्रिंट कराया है और इसी वजह से वहां के दलित युवा उनसे दो महीने पहले घटित अमित भंडारी हत्याकांड पर पुलिस की निष्क्रियता के बारे में चर्चा करने का पहल किये.

आशीष टंडन के लिए भी दो माह पहले घटित इस घटना पर पामगढ़ जैसे दलित बहुल, जागरुक एवं चेतनाशील समाज के लोगों वाले क्षेत्र में एक दलित युवक की हत्या जैसे मामले का विगत दो माह से दबा पडा रहना घोर आश्चर्य का विषय था। फिर उसने दलित अधिकारों के लिए सतत संघरशील सामाजिक कार्यकर्ता संजीत बर्मन को यह जानकारी बताया, फिर अगले ही दिन संजीत बर्मन साथी डंकेश बर्मन,राहुल आजाद,प्रभात रात्रे, रूपेश दिवाकर और आशीष टंडन ने एक साथ मिलकर घटना स्थल गाँव कोसा के लिए रवाना हो गये.

जब यह टीम मृतक अमित लाल के घर पहुंचा तब उसके बड़े भाई अमृतलाल एवं उसके चाचा एक दशगात्र कार्यक्रम में धुर्वाकारी मस्तुरी जाने के लिए निकलने ही रहे थे.

जब बातचीत करना चाहा तो अमृतलाल एवं उसकी पत्नी के द्वारा विभिन्न प्रकार से पूछताछ की गई जैसे कि कौन हो ? किसलिए आए हो? क्या काम है? क्या सामाजिक काम करते हो? और कहां रहते हो ? इत्यादि ....

फिर उनके द्वारा दिखाए जा रहे एक आवेदन पत्र में उनके वकील भारत भूषण बंजारे जी का संपर्क नंबर लिखा मिला, जब टीम ने इस फोन नम्बर पर कॉल किया तब जाकर अधिवक्ता भारत भूषण बंजारे ने मृतक के बड़े भाई अमृतलाल को आश्वस्त किए कि आपके घर संजीत बर्मन और जो लोग पहुंचे हैं वह आपके मामले को उठाएंगे आप निश्चिंत होकर उन्हें घटना के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाइए, आप लोगों को घबराने की उन्हें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है.

फिर उसके पश्चात सबूत और साक्ष्य जुटाने का काम आरम्भ हुआ.

घटना से संबंधित फोटो और विडियो दिखाने को बोले तब मृतक के भाई अमृतलाल ने मोबाइल बिगड़ जाने का बात बताया, तत्काल पामगढ़ में मोबाइल रिपेयरिंग करवाया गया और मोबाइल हैंडसेट से फोटो और वीडियो के अलावा मृतक की कथित प्रेमिका और मृतक के बड़े भाई अमृतलाल के बीच हुए मोबाइल से बातचीत की रिकॉर्डिंग भी हासिल हो गया.पीड़ित परिवार ने लाश बरामद स्थल और उसकी प्रेमिका के घर तक पैदल जाकर डॉग स्क्वायड की ट्रेकिंग रूट को दिखलाया.

दिनांक 29 अगस्त 2026 को साथियों के इस टीम ने घटना से सम्बंधित प्राप्त जानकारी और उससे सम्बंधित पुलिसिया जाँच कार्यवाही और पुलिस के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुये सोशल मीडिया में अभियान छेड़ दिए.

मुलमुला थाना में जाँच दल, आदर्श थाना का मुंह चिढाता हुआ होर्डिंग्स और थाना क्षेत्र में घटनाओं की पुनरावृति :-

(ऍफ़ आई आर न. 0249 / 30-06-2026)

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Type of Property (सम्पत्ती के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-)
(चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any
(मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू०डी०प्रकरण न०, यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

मै थाना मुलमुला में निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हूं मर्ग क्रमांक 52/2026 धारा -194 बीएनएसएस का जांच किया मृतक अमित कुमार भंडारी पिता स्व0 ओमप्रकाश भंडारी उम्र 26 साल साकिन कोसा थाना मुलमुला जिला-जांजगीर चाम्पा छ0ग0 के परिजन अमृत लाल भंडारी पिता स्व0 ओमप्रकाश भंडारी उम्र 32 साल , गवाह लक्ष्मीनारायण धीवर पिता बरातु राम धीवर उम्र 35 साल साकिनान कोसा थाना मुलमुला के कथन मर्ग पंचनामा, पंचानो की राय,घटना स्थल निरीक्षण मृतक अमित कुमार भंडारी के शार्ट पीएम रिपोर्ट के अवलोकन से मृतक की मौत किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से सिर एवं सीने में प्राण घातक चोंट पहुंचाकर मृत्यु कारित करना पाया गया सम्पूर्ण जांच पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारा 103(1) बीएनएस का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध सदर कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मर्ग इंटीमेशन नकल जैल है- थाना – मुलमुला जिला - जांजगीर चांपा (छ0ग0) मर्ग क्र0 -52/2026 धारा - 194 बीएनएसएस नाम सूचक - अमृत लाल भंडारी पिता स्व0 ओमप्रकाश भंडारी उम्र 32 साल साकिन कोसा थाना मुलमुला जिला-जांजगीर चाम्पा छ0ग0 मो0नं0-7024986937 दिनांक घटना समय- 27.06.2026 के रात्रि 12/00 बजें से दिनांक 29.06.2026 के 09/30 बजें के मध्य घटना स्थल- ग्राम कोसा अमहातालाब के पास दिनांक रिपोर्ट समय-29.06.2026 के 10/39 बजें नाम मृतक -अमित कुमार भंडारी पिता स्व0 ओमप्रकाश भंडारी उम्र 26 साल साकिन कोसा थाना मुलमुला जिला-जांजगीर चाम्पा छ0ग0 सबब मौत-अज्ञात कारण से कायमीकर्ता-प्र0आर0 256 अवधेश तिवारी थाना मुलमुला जिला जांजगीर चाम्पा छ.ग. विवरण-सूचक इस वक्त हमराह अंकित कमलकर पिता संतोष कमलकर के थाना उपस्थित आकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि दिनांक 27.06.2026 को इसका छोटा भाई मृतक अमित कुमार भंडारी रात्रि लगभग 12/00 बजें घर से बिना बताये कहीं चला गया था जिसको दिनांक 28.06.2026 को दिनभर आस पास एवं रिस्तेदारो में पता तलाश किया पता नही चला जिसकी गुम रिपोर्ट थाना मुलमुला में अपनी मां उज्जैन बाई के साथ आकर रात्रि लगभग 10/42 बजें दर्ज कराया था और अपने भाई का पता तलाश कर रहा था तो आज दिनांक 29.06.2026 को गांव का सरपंच रजत सिंह ने बताया कि एक अज्ञात शव अमहातालाब के पास मिला है तब अमहातालाब के पास जाकर देखा तो वह शव मेरे भाई अमित कुमार भंडारी का था, जो मृत हालत में पेट के बल पड़ा था। सूचक की रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही में लिया गया । मर्ग कि प्रतिलिपि SDM महोदय पामगढ को भेजी जाती है।

3

अमित भंडारी के हत्या की घटना के सम्बन्ध में फैक्ट फाइंडिंग टीम मुलमुला स्थित पुलिस थाना में पहुंचा , जहां टीम की मुलाक़ात नव पदस्थ थाना प्रभारी शिवानन्द सिंह से हुई . मुलमुला थाना प्रभारी शिवानन्द सिंग ने जाँच टीम को चर्चा के दौरान बताया कि इस घटना की त्वरित जाँच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया हैं. थाना प्रभारी ने जाँच दल को

बताया कि इस मामले में ऍफ़ आई आर दर्ज किया गया है. जब जाँच टीम द्वारा थाना प्रभारी को यह पूछा गया कि घटना के ऍफ़ आई आर के पश्चात और अब तक हत्या में संलिप्तों को पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई है ? तब पुलिस के अधिकारी ने कहा कि यहाँ मेरे पदस्थापना को केवल अभी तीन दिन ही हुए हैं और इसी काम के लिए मुझे यहाँ सरकार ने तैनात किया है. इसके अलावा भी जाँच टीम द्वारा मृतक के परिवारों को ऍफ़ आई आर की प्रति नहीं देने, पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट के बारे में सटीक जानकारी नहीं देने , मृतक के परिवारों का नार्को टेस्ट, डॉग स्क्वायड की कार्यवाही में स्पष्टता के बावजूद मामले को ठन्डे बस्ते में ड़ाल देना, और मृतक के समुदाय और रिश्तेदारों को ही पुलिसिया जाँच के नाम पर प्रताड़ित करने इत्यादि सवालों के जबाब देने के बजाय पुलिस अधिकारी ने बस इतना कहकर अपना बात समाप्त कर दिया कि मुझे कुछ दिनों का बस बस मोहलत दीजिये , मै आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि इस मामले में अब देरी नहीं होगी , जल्द ही इस मामले में गठित टीम असली गुनाहगारों का पर्दाफाश कर उनकी गिरफ्तारी होगी. साथ ही पुलिस के अधिकारी ने जाँच दल को यह बी बताया कि ग्राम कोसा में मृतक के परिवार को संरक्षण के मकसद से एक चेक पोस्ट भी स्थापित किया गया है.

जाँच टीम ने अपने अन्वेषण में पाया कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित जांजगीर-चाम्पा जिला अंतर्गत यह थाना क्षेत्र अनुसूचित जाति –समुदायों के खिलाफ सघन अत्याचार संभावित क्षेत्र है. दलितों के खिलाफ प्रतिष्ठा आधारित हत्या (ऑनर किलिंग) सम्बन्धी घटित हो रहे अपराधों के सम्बन्ध में सुनिश्चित और पृथक रिपोर्ट की प्रक्रिया के अभाव में कोई वास्तविक आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है. जबकि इन घटनाओं की संचार माध्यमों में लगातार आ रही ख़बरों की भरमार है. फिर भी मुलमुला थाना क्षेत्र में हाल ही के कुछ वर्षों में दलितों के नृशंस हत्या के कुछ घटनाओं को जाँच दल ने रेखांकित किया है जो इस प्रकार हैं :-

1. पुलिस अभिरक्षा में सतीश नोरगे के मौत का मामला, दिनांक – 17-09-2016.

2. महेश्वर सक्सेना हत्याकांड , दिनांक – 23-11-2021

जहां तक दलित अधिकार संगठनों को ज्ञात है , पुलिस थाना मुलमुला द्वारा इन मामलों में सुचना दर्ज करने में संवेदनशीलता के अभाव और अपराध सिद्ध करने के कार्य में कोई विशेष और उल्लेखनीय योगदान नहीं रहने के छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा मुलमुला थाना क्षेत्र को आदर्श थाना के रूप में प्रचारित किया जाना राष्ट्र –राज्य का मानव अधिकारों के प्रति उसके दृढ संकल्पनाओं को मुंह चिढाने जैसा प्रतीत होता है.

पुलिस विभाग द्वारा आनन – फानन में तत्कालीन थाना प्रभारी का तबादला और दोषियों के धर –पकड़ के लिए एक उच्च स्तरीय जाँच टीम का गठन :-

<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0)</u>

E-mail: sp-janjgir.cg@gov.in Mob. No - 9479193100 Fax No - 07817-222094

"आदेश"

थाना मुलमुला के अपराध क्रमांक 249/2026, धारा 103(1) बीएनएस.के प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में बारिकी से साक्ष्य एकत्र कर सभी पहलुओं में विवेचना करते हुए प्रकरण के फरार अज्ञात आरोपी की पतासाजी/गिरफ्तारी हेतु **<u>डॉ.यूलैण्डन यार्क अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला जांजगीर-चांपा</u>** के नेतृत्व में निम्नलिखित **अधि/कर्म.की टीम गठित** की जाती है :-

क्र.	अधि/कर्म.का नाम	तैनाती
01.	डॉ.मेखलेन्द्र प्रताप सिंह	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अकलतरा
02.	निरीक्षक शिवानंद सिंह	थाना प्रभारी मुलमुला
03.	निरीक्षक भास्कर शर्मा	थाना प्रभारी साइबर जांजगीर
04.	प्र.आर.402 रूद्रनारायण कश्यप	थाना मुलमुला
05.	प्र.आर.347 राजकुमार चंद्रा	साइबर थाना जांजगीर
06.	आरक्षक 655 प्रदीप दुबे	साइबर थाना जांजगीर
07.	आरक्षक 232 शहबाई अहमद	साइबर थाना जांजगीर
08.	आरक्षक 464 रामगोपाल भारती	थाना मुलमुला
09.	आरक्षक 954 ओमप्रकाश डहरिया	थाना मुलमुला

पुलिस अधीक्षक
जिला जांजगीर-चांपा

क्रमांक/पुअ/जांचा/रीडर-01/ 46 /2026 जांजगीर दिनांक 03.09.2026

<u>प्रतिलिपि</u> :-

01. पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ
02. अति.पुलिस अधीक्षक जिला जांजगीर-चांपा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
03. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अकलतरा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
04. थाना प्रभारी मुलमुला एवं साइबर थाना प्रभारी जांजगीर की ओर सूचनार्थ एवं संबंधित पालनार्थ।

पुलिस अधीक्षक
जिला जांजगीर-चांपा

घटना के तथ्य :-

1. मृतक दलित युवक के हत्या की घटना में पुलिस की असंवेदनशीलता और आरोपियों के विरुद्ध दो महीने तक पुलिस द्वारा एक्शन नहीं लिए जाने के वाकिये ने पुलिस के जातीय चरित्र को उजागर कर दिया है कि कैसे पुलिस के लिए अपराधी का उच्चवर्णीय जातीय पृष्ठभूमि से सम्बद्ध होना मात्र ही समाज में जातीय पदानुक्रम में निम्न मानी जाने वाली जाति से सम्बद्ध लोगों, भले ही वे पीड़ित ही क्यों नहीं हों, उन पर आरोप थोप देना बहुत ही आसन हो जाता है.

2. यह घटना प्रतिष्ठा आधारित अपराध का एक छोटा सा हिमखंड है, जाति बर्चस्व के सबल -सामन्ती तत्वों और जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित छत्तीसगढ़ पुलिस के गठजोड़ द्वारा एक दलित युवक के नृशंस हत्या के इस मामले को लीपापोती के कगार पर पहुंचा देने के फिराक में था.

3. यह मामला नैतिक(moral) पुलिसिंग का परिणाम है, जो कि धार्मिक-जातीय-पितृसत्ता के विधानों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति और समुदायों का निगरानी कर उन्हें दासता की जंजीरों से कसकर जकड़े रखना इनका मकसद होता है.

4. भारत में संस्कृति,परम्परा एवं प्रतिष्टा आधारित अपराध और हिंसा से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं, विशिष्ट तौर पर दलित- आदिवासी जातियां, महिलायें, धार्मिक अल्पसंख्यक और एल जी बी टी क्यू आई.. समुदाय के युगल एवं सदस्य ज्यादातर प्रभावित हो रहे हैं.

5. घटित घटना दिनांक के समय में मुलमुला थाना में पदस्थ एस. एच.ओ. ने अपने कर्तव्य निर्वहन में जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कानून की मंशा के विपरीत कार्य किया है. इस कारण उसे पद से बर्खास्त कर उसके विरुद्ध अ.जा.ज.जा. की धारा - 4 के तहत कार्यवाही संस्थित किया जाना विधि सम्मत है.

6. हम कहने को तो दुनियां के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश में रहते हैं लेकिन इसके उलट वास्तविकता यह है कि हम अपनी पसंद के व्यक्ति से सुरक्षित रूप से सम्बन्ध बनाने/ लिव इन सम्बन्ध में रहने की स्वतंत्रता के बिना जी रहे हैं. हम दो भारत में रह रहे हैं, एक ओर जहां कुछ सम्बंधों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर समाज में बर्चस्वशाली जातिसता, धर्म सत्ता , पितृ सत्ता के द्वारा अपने पसंद से साथी चुनने वाले युगलों को निर्वस्त्र कर घुमाना, उन्हें बंधक बनाना , उनका सर मुंडवाना और चेहरे तथा शरीर के अन्य हिस्सों में रंग-रोगन कर अपमानित करना , भारी आर्थिक जुर्माना और मृत्युदंड दिये जा रहा है.

7. पुलिस ने मृतक अमित भंडारी के परिजनों और उसके साथ मेल-जोल रखने वाले उसके ग्रामीण साथियों को ही अपराध कबूल कराने के मकसद से घोर यातनाएं दी हैं. दो महीनो तक पुलिस के जाँच का सुई पीड़ितों के आस-पास ही रखा गया. यहाँ तक कि मृतक के परिवार के महिलाओं का चरित्र हनन भी किया गया.

8. मृतक का शव 29 जून को गाँव में अमहा तालाब किनारे संतोष थवाइत के बाड़ी में पड़ा हुआ मिला, मृतक का मृत शरीर फूल चूका था और उसमे सडन का शुरुआत हो चुका था. ताज्जुब का बात तो यह है कि उस बाड़ी में वहाँ पर पिछले दिनों से लगातार छड कटाई के मिस्त्री का काम चल रहा था, और वहाँ पर काम कर रहे मिस्त्री और मजदूरों को इसके बारे में जानकारी नहीं हो सका. इसका कारण स्पष्ट है कि मृतक की हत्या उसके लापता होने रात में ही कारित किया गया है और कई दिनों बाद शव बरामदगी स्थान पर उसे फेंका दिया गया हो.

9. यह कि ऍफ़ आई आर न. 0249 / 30-06-2026 में अ.जा.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के सुसंगत धाराओं को नहीं जोड़ा गया है.

प्रतिष्ठा आधारित अपराधों की जटिलता और खतरनाक प्रवृतियों को कम नहीं आँका जा सकता है और जाँच टीम द्वारा इस सरीखी अपराधों के समाधान व समूल नाश के लिए संवैधानिक राज्य तंत्र का जबाबदेही सुनिश्चित करने अनुशंसा :-

1. प्रतिष्ठा आधारित अपराधों से प्रभावित लोगों को सुनवाई और उससे प्रभावित लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षा के लिए विस्तृत कानून की रचना करें.

2. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और पुलिस द्वारा प्रतिष्ठा आधारित अपराधों (केवल हत्या ही नहीं) बल्कि सभी सम्बंधित अपराधों के लिए अलग रिकॉर्ड रखना.

3. प्रतिष्ठा आधारित अपराधों के केस की सुनवाई के लिए विशिष्ट न्यायालयों और फास्टट्रेक अदालतों की रचना करना.

4. कानून को लागू करने वाली संस्थाएं और ख़ास -तौर पर पुलिस अधिकारियों जो कि प्रतिष्ठा के नाम पर हो रही हिंसाओं को रोकने और त्वरित कार्यवाही करने में असफल हों, उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित जावे.

5. प्रतिष्ठा आधारित धमकियों और हिंसा की घटनाओं से जूझ रहे युगलों के लिए पुलिस संरक्षण, आर्थिक सहायता व क्षतिपूर्त, विधिक सहायता, सुरक्षित आश्रय गृह और सामाजिक सुरक्षा के उपाय/ प्रयोजन करना.

6. जाति- कट्टा -खाफ जैसी पंचायत जो कोई प्रतिष्ठा आधारित अपराध कारित करता है, अथवा उन्हें प्रोत्साहन देता है, उनका उन्मूलन और उन्हें नियंत्रित करना.

7. समाज में प्रचलित प्राचीन रूढ़ि -परंपरा के अनुरूप जीवन साथी चयन, रहन-सहन, खान-पान, और नियम-विधानों से इत्तर भिन्न मत, पसंद तथा अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति, परिवार और समुदायों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार, अपमानित करने की घटनाओं से संरक्षण और रोकथाम के लिए कानून पारित करना.

8. समाज में प्रतिष्ठा, धार्मिक तथा जातीय पूर्वाग्रह आधारित परम्परागत दण्ड- विधान तथा उसको लागू कराने वाली सामानांतर रूढिगत व्यवस्था के खिलाफ वैज्ञानिक सोच तथा लोकतान्त्रिक जागरूकता के उपाय करना.

9. माननीय सर्वोच्च न्यायलय भारत की ओर से शक्ति वाहिनी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के 27 मार्च 2018 के फैसले में प्रतिष्टा आधारित अपराधों के लिए अलग कानून की जरूरत पर जोर देते हुए निर्णय पारित किया गया है. लॉ कमीशन द्वारा भी इस पर अलग कानून बनाने की सिफारिश का अमल किया जावे.

10. - भारतीय समाज में प्रतिष्ठा आधारित अपराधों पर रोकथाम के लिये देश में (महाराष्ट्र राज्य को छोड़कर) कोई विशेष कानून अस्तित्व में नहीं है. छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भाजपा की राज्य में सत्तारूढ़ सरकार ने एक विधेयक प्रस्तावित किया था, लेकिन तब छत्तीसगढ़ में अधिकतर जातीय संगठनों ने एक राय होकर इस तर्क व आधार पर उस विधेयक का मुखालफ़त किया था, कि इससे सदियों से चली आ रही परम्परा अनुसार समाज और जातिसत्ता का लोगों पर से नियंत्रण ख़त्म हो जावेगा. वर्तमान में प्रतिष्ठा आधारित अपराधों पर रोकथाम के लिए राज्य सरकार को एक विशेष कानून पारित एवं लागू किया जाना चाहिए.

यह रिपोर्ट लिखे जाने तक जांजगीर –चाम्पा पुलिस द्वारा अमित भंडारी हत्याकांड का खुलासा ; दिनांक 09-09-2026:-

प्रेस विज्ञप्ति
जिला पुलिस जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)
दिनांक 09.09.2026

कोसा मर्डर केस का पर्दाफाश

- ग्राम कोसा के मृतक अमित भंडारी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल एक महिला समेत दो आरोपी गिरफ्तार'
- ब्रेन मैपिंग पॉलीग्राफ एवं नार्को टेस्ट जैसे आधुनिक तकनीक का उपयोग मामला सुलझाने में
- पिछले दो माह से पुलिस के समक्ष गुत्थी बने मामले को पुलिस ने सुलझाया
- प्रेम प्रसंग बना हत्या का कारण
- गिरफ्तार आरोपी (1) बजरंग सिंह क्षत्रिय, (2) पप्पू सिंह क्षत्रिय, (3) संतोषी सिंह क्षत्रिय
- हत्या में प्रयुक्त साधन (1) छोटा फावड़ा/रापा, (2) लोहे की छोटी सीढ़ी
- 200 से अधिक टावर डम्प, सीडीआर, आईपीडीआर, सीसीटीव्ही फुटेज का विश्लेषण
- फोरेन्सिक तकनीकी विश्लेषण का उपयोग जिसमें एल.व्ही.ए., ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट शामिल
- घटना स्थल का रि–क्रिएशन/पुनर्निमाण
- पोस्ट मार्टम का पुनर्विश्लेषण
- 7 वर्षो से अधिक की अनुभवि वरिष्ठ ट्रेनर डॉग विमला की विशिष्ट भूमिका

27 जून 2026 की रात थाना मुलमुला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोसा में अपने घर से निकले युवक अनिल भंडारी का मृत शरीर एक दिन बाद

29 जून को सुबह गांव के ही अमहदा तालाब के बगल में एक निर्जन बाड़ी में बरामद हुआ था। गांव के बीचो–बीच हुए इस हत्या की विभिन्न पहलुओं को लेकर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की, जिसमें मुख्य रूप से मृतक का गांव के ही संतोषी सिंह नामक एक युवती से प्रेम प्रसंग, गांव में रात में होने वाले जुआ शराब आदि से जुड़े असामाजिक तत्वों की भूमिका साथ ही पिछले ग्राम पंचायत चुनाव के समय हुए विवाद को मुख्य रूप से पुलिस ने अपनी जांच में शामिल किया था। जांच में विभिन्न तकनीकी बिंदुओं जैसे CDR, IPDR एनालिसिस, टावर डंप, जीपीएस, सीसीटीवी फुटेज, संदेहियों के घटना के समय के लोकेशन के साथ–साथ घटना का मकसद और घटना के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जिला पुलिस कप्तान द्वारा SIT बनाकर जब तेजी से जांच करना शुरू कराया गया तो जो तथ्य और कहानी सामने आए वह चौंकाने वाले थे।

मृतक अमित भंडारी का गांव के ही युवती संतोषी सिंह से उसके विवाह की पूर्व से ही प्रेम प्रसंग था, विवाह के बाद भी वे आपस में बातें किया करते थे, अमित भंडारी बाहर रहकर काम किया करता था जब जब वह गांव वापस लौटता था तब संतोषी भी अपने पति से लड़–झगड़ कर गांव आ जाती थी गांव में दोनो रात–रात भर फोन से बातें करते थे। घटना दिनांक की रात को भी अमित भंडारी और संतोषी सिंह रात को लगभग 1:30 बजे तक फोन में बातें करते रहे इसके बाद रात्रि लगभग 2:30 बजे के आसपास अमित, संतोषी सिंह से मिलने उसके घर के पीछे पहुंचा उसी समय संतोषी सिंह का भाई बजरंग सिंह टेंट का काम खत्म कर घर लौटा तथा घर के पीछे कुछ आवाज सुनकर जब वह घर के पीछे गया तो अपनी बहन के साथ मृतक अमित को देखकर अपना आपा खो बैठा और वहीं मृतक से वाद विवाद कर मारपीट चालू कर दी। अंधेरे में मृतक अमित का सर पीछे दीवार में टकराने से वहां खून का धब्बा लग गया था, अमित भंडारी वहां से जान बचाकर भागने की नीयत से पीछे दीवार को फांदने का प्रयास कर रहा था तब आरोपी बजरंग सिंह ने पास ही पड़े छोटे फावड़े/रापा से अमित की सर और छाती पर वार कर उसकी हत्या कर दी। आवेश में आकर हत्या करने के बाद घबराकर बजरंग सिंह

ने अमित की लाश को पीछे बाड़ी में ही झुरमुट के नीचे छुपा दिया था क्योंकि उसी रात गांव में चोरी होने की सूचना पर डायल 112 गांव कोसा आया हुआ था और रात में गांव में लोग जगे हुए थे जिससे उसी रात को ही अमित की लाश को कहीं अन्य रखने पर पकड़े जाने का खतरा था। इस पूरी घटना को उसकी बहन संतोषी सिंह ने देखा था और मृतक के शव को छुपाने में मदद भी की थी। अगले दिन दिनांक 28 जून को जब आरोपी बजरंग सिंह का बड़ा भाई पप्पू सिंह काम के बाद वापस गांव लौटा तो बजरंग ने बीती रात की पूरी घटना उसे बताई और उसे सहयोग करने के लिए कहा, दोनों प्लान बनाकर मृतक के परिजनों के साथ अमित भंडारी को ढूंढने का नाटक करते रहे और पुलिस को चकमा देने की नियत परिजनों के साथ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने पुलिस थाना मुलमुला भी गए थे । बाद में रात को वापस गाँव आकर दोनो आरोपीयों ने 28 जून की मध्य रात्रि लगभग 12:00 बजे मौका देखकर अमित भंडारी के शव को गांव के बीचो–बीच ऐसे स्थान पर रख दिया जहां पुलिस को उन पर शक ना हो। पुलिस टीम द्वारा सूचना मिलने पर अगले दिन 29 जून को अज्ञात में अपराध पंजीबद्ध कर विभिन्न पहलुओं पर सघन जांच की जा रही थी बिलासपुर से आई ट्रैकर डॉग विमला द्वारा दिए गए लीड, आरोपियों के लोकेशन, घटना के बाद इनका संदिग्ध व्यवहार, पूछताछ में बार–बार कथन में बदलाव तथा नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ व ब्रेन मैपिंग द्वारा संदेह रहित हो जाने के बाद आरोपियों से जब पुनः सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपियों द्वारा घटना करना कबूल कर लिया गया और घटना में प्रयुक्त हथियार छोटा फावड़ा/रापा और मृतक के शव को ले जाकर अन्यत्र रखने के लिए उपयोग में लाई गई छोटी सीढ़ी को पुलिस ने आरोपियों के निशानदेही में बरामद किया। तीनों आरोपियों बजरंग सिंह, संतोषी सिंह और पप्पू सिंह को पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर लिया है इनमें से संतोषी सिंह और पप्पू सिंह को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, तथा बजरंग सिंह का पुलिस रिमांड लेकर फॉरेनसिक इन्वेस्टीगेशन का आधुनिक तकनीकी परीक्षण कराया जायेगा।

------------000 --------------